अपर उपायुक्त, सरायकेला - खरसावॉं का न्यायालय, सरायकेला ।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-02/2016-17

07/12/2016

बुचन उरॉव एवं अन्य

वनाम

खजान सिंह

यह अपील अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0- 07/2011-12 में दिनांक-27.05.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध बुचन उरॉव, पति स्व0 तनु उरॉव ज्येष्ठा उरॉव एवं बाबुलाल उरॉव दोनों के पिता तनु उरॉव , निवासी-आसनबनी, थाना-चाण्डिल जिला- सरायकेला - खरसावॉं के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी श्री खजान सिंह, पिता कपूर सिंह, निवासी-हेमसिंह बगान, न्यू कालीमाटी गोलमूरी रोड,साकची,जमशेदपुर है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये तथा लिखित पक्ष, एस0ए0आर0 वाद सं0- 07/11-12 का अवलोकन किया जिसमें निम्नलिखित विन्दु सामने आते हैं -

1. मौजा आसनबनी , थाना सं0-325 , खाता सं0-110, खेसरा सं0-2062, किस्म-दोन दो, रकवा- 1.15 1/2 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान में तनु उरॉव एवं अन्य जाति- उरॉव के नाम पर दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के व्यक्ति हैं तथा लगान भुगतान किया जाता है।
2. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी जो गैर आदिवासी व्यक्ति हैं गलत तरीके से नोटरी पब्लिक जमशेदपुर से दिनांक 25.08.2010 को 99 साल का लीज एग्रीमेंट बनाकर दखलकार हैं। एवं एस.ए.आर. वाद सं0-07/11-12 दायर करने के पश्चात पुनः गलत तरीके से नोटरी पब्लिक सरायकेला-खरसावॉं से संख्या-1688 दिनांक 27.09.2010 को 5 साल का लीज एग्रीमेंट बनाया गया।
3. प्रतिवादी द्वारा यह बतलाया गया कि एग्रीमेंट for sale दिनांक 19.08.2010 को वादीगण के द्वारा उक्त भूमि बिक्री हेतु एकरारनामा किया गया एवं इन्हींसे 1700000/- रू0 अग्रिम के रूप में लिया गया है।

उपरोक्त विन्दुओं के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत भूखण्ड आदिवासी खाते की भूमिहै जिसपर बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के किसी भी तरह का हस्तांतरण या अवैध दखल किया जाना सी.एन.टी.एक्ट 1908 की धाराओं का घोर उल्लंघन है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लीज एकरारनामा स्वीकार योग्य नहीं है, जिसपर उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित एस.ए.आर. वाद सं0- 07/11-12 में दिनांक 27.05.2015 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रश्नगत भूखण्ड से अपना दखल कब्जा हटा लें अन्यथा निर्धारित तिथि के पश्चात अंचल अधिकारी, चाण्डिल अनुमण्डल दडाधिकारी चाण्डिल से आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर प्रश्नगत भूखण्ड पर वादी को दखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों, अंचल अधिकारी,चाण्डिल एवं अनुमण्डल पदाधिकारी,चाण्डिल को दें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त
सरायकेला - खरसावॉं।

अपर उपायुक्त
सरायकेला - खरसावॉं।